



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092020-221966  
CG-DL-E-25092020-221966

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2953]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2020/आश्विन 3, 1942

No. 2953]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2020/ASVINA 3, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020

(आयकर)

का.आ. 3304(अ).—आयकर नियमावली, 1962 के नियम 12ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 143 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ अथवा धारा 139 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई विवरणियों के संबंध में अथवा उक्त अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी नोटिस की प्रतिक्रिया में सहायक आयकर आयुक्त/उपआयुक्त आयकर (राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केन्द्र) के उक्त अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (2) के अन्तर्गत नोटिस के जारी किए जाने के प्रयोजनार्थ दिल्ली में अपना मुख्यालय रखते हुए विनिर्दिष्ट आयकर प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. यह अधिसूचना 13 अगस्त, 2020 से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 79 /2020 फा. सं. 187/2/2019-आईटीए-1]

गुलजार अहमद वानी, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को लागू किए जाने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th September, 2020

**(INCOME-TAX)**

**S.O. 3304(E).**—In exercise of powers conferred under sub-section (2) of section 143 of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (the Act) read with Rule 12E of the Income-tax Rules, 1962, the Central Board of Direct Taxes hereby authorises the Assistant Commissioner/Deputy Commissioner of Income-tax (National e-Assessment Centre) having his headquarters at Delhi, to act as the Prescribed Income-tax Authority for the purpose of sub-section (2) of section 143 of the Act, in respect of returns furnished under section 139 or in response to a notice issued under sub-section (1) of section 142 of the said Act, for the purpose of issuance of notice under sub section (2) of section 143 of the said Act.

2. This notification shall come into force from 13<sup>th</sup> August 2020.

[Notification No. 79/2020, F. No.187/2/2019-ITA-I]

GULZAR AHMAD WANI, Under Secy.

**Explanatory Memorandum**

It is certified that no person is being adversely by giving retrospective effect to this notification